




INDIA NON JUDICIAL

## Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No.	: IN-UP46979210131135V
Certificate Issued Date	: 28-Jun-2023 04:23 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14220304/ RAEBARELI SADAR/ UP-RAB
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1422030488981704272525V
Purchased by	: SMT SEELA DEVI WO BAIJNATH
Description of Document	: Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: SMT SEELA DEVI WO BAIJNATH
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: SMT SEELA DEVI WO BAIJNATH
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



Please write or type below this line

## घोषणा- पत्र

मैं \ हम श्रीमती श्रीला देवी सत्यनिष्ठा से आश्वासन और वचन देंता हूँ। देते हैं कि :- [क] मैं \ हम एतदद्वारा घोषणा करता हूँ। करते हैं कि मैं हमअनुजप्तिधारी से आपूर्ति के प्रारम्भ के दिनांक .....से 2वर्षों के न्यून अवधि के लिए उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्यों के लिए ऊर्जा का भुगतान करने के लिए इच्छा और सहमति रखता हूँ। रखते हैं। [ख] मैं \ हम आयोंग द्वारा अनुमोदित अनुजप्तिधारी की वितरण संहिता [कोड] को उसमें उल्लिखित किंही उपान्तरणों सहित और भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के उपबन्धों का इसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली का और विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 के उपबन्धों से जहाँ तक कि यह प्रयोज्य हैं बाध्य होने को सहमत हूँ।

श्रीला देवी

अधिशासी अभियन्ता  
विद्युत विभाग रणनु द्वितीय  
राष्ट्रवरेली

(ग) मैं/ हम भी घोषणा करते हैं कि उपरोक्त उपबंधों का पालन करने में मेरे/ हमारे विफल रहने की दशा में अनुज्ञाप्रियारी के लिए वह विधि सम्मत होगा कि वह उपरोक्त कथितवितरणसंहिता के निवन्धनों के अनुसार आपूर्ति को रोक दें।

(घ) मैं/ हम आरे यह घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि अनुज्ञाप्रियारी को आपूर्ति में किसी विधि/ कमी के ऐसे कारणों के लिए जो उसके नियन्त्रण से परे है उत्तरादायी नहीं ठहराया जायेगा।

(इ) मैं/ हम यह समझता हूँ/ समझते हैं कि यह घोषणा पर दो वर्ष पश्चात इस संहितामें वर्णितप्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रकार द्वारा नौटिट देकर रद्द की जा सकती हैं।

(ज) जमा योजना सामान्य योजना लघु सिचाई अध्यवा अन्य किसी योजना के अन्तर्गत संयोजन प्राप्त करने पर नवा परिवर्तक स्थापित किया जाता है अध्यवा पूर्व से ही स्थापित है लेकिन अधिभारित नहीं है ऐसी दशा में उसी परिवर्तक से उप्र० पावर कार्पोरेशन द्वारा किसी दूसरे उपभोक्ता को संयोजन प्रदान किया जाता है तो मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्तिनहीं होगी।

(झ) उपरोक्त कारणोंवश यदि संयोजन का स्थाई विद्युत विच्छेदन मेरे द्वारा कराया जाता है तो संयोजन में प्रशोध होने वाली विषम की सामग्री जिसका पैसा उप्र० पावर कार्पोरेशन के खाते में पूर्व से ही जमा है सामग्री के बूल्स का किसी भी दशा में मेरे द्वारा प्राप्त करने का दावा नहीं किया जाएगा तथा उस सामग्री पर हधारा कोई अधिकार नहीं होगा।

(ज) उपभोक्ता को पूर्व में स्थानिक परिवर्तक से एलटीपीलाइन पर निजी नलकूप संयोजन प्रदान किया जाता है लेकिन उपभोक्ता उस परिवर्तक से संयोजन नहीं लेना चाहता है ऐसीपरिस्थिति में उपभोक्ता को नवे परिवर्तक हेतु धूट के अतिरिक्त नियम द्वारा निर्धारित परिवर्तक की राशि

उपभोक्ता को जमा करना होगा जिसके लिए उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(झ) मैं/ हम घोषणा करता/ करती हूँ कि विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने के उपरान्त यदि अगले माह तक विद्युत बिल प्राप्त नहीं होता है तो हमारी/ स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि अगले माह/ आगामी माहों में खण्डीय कार्यालय विद्युत वितरण खण्ड ...स्टेटमेंट रायबरेली से बिल प्राप्त करेंगा/ करता रहेंगा तथा उसका भुगतान समय करेंगा/ करता रहेंगा।

(ञ) मैं/ हम आरे इस बात पर सहमत हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा दिये गये घोषणा पर को अनुज्ञाप्रियारी के साथ किये वये उपरोक्त आशय के किसी अनुबन्ध की तरह समझा जायेगा।

(ट) मैं/ हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि आवेदन पत्र में दिये वये सभी विवरण मेरे/ हमारे ज्ञान में सत्य हैं। यदि कोई सूचना किसी बाद की दिनांक पर यलत पाई जाती है तो अनुज्ञाप्रियारी को आपूर्ति रोक देने/ काट देने जैसी स्थिति होने का अधिकार होगा।

(ठ) मेरे/ हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरण से कोई अनिधिकृत परिवर्धन/ परिवर्तन या चोरी या दुर्विनियोग या नीटर को छेड़ते हुए वा उससे कोई छेड़छाड़ न हो। दूसरे सब्दों में मेरे/ हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुज्ञाप्रियारी द्वारा मुझे/ हमको उपलब्ध कराई गई ऊर्जा को विविसम्मत और प्राधिकरणीय उपयोग किया जाये। उस दशा में जबकि अनुज्ञाप्रियारी के पास यह समझने या आशंका करने का युक्तिमुक्त आधार हो कि उपकरण में अप्राधिकृत परिवर्धन/ परिवर्तन चाहे वह कैसा भी वर्णन न हो किया गया है, या दुर्विनियोग या ऊर्जा का उपयोग या नीटर से छेड़ते हुये विद्युत का प्रयोग किया जा रहा है या उससे छेड़छाड़ की गयी है तो अनुज्ञाप्रियारी का कोई परामिहित प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होता कि वह उपकरण नीटर और वायरिंग आदि के सामान्य निरीक्षण और परीक्षण के लिए परिसर में प्रवेश कर सके।

(ड) मैं बता देता हूँ कि जब कभी वह परिसर जिसके लिए विद्युत क्लेवरान लिया जा रहा है खाली करना है तो अनुज्ञाप्रियारी को विद्युत वितरण संहेतामें वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सूचित करेगा।

दिनांक :

श्रीला ट्रीली

आवेदक के हस्ताक्षर

अधिकारी/ अभियन्ता

विद्युत नियन्त्रण विभाग द्वितीय

रायबरेली

स्थान

गवाहां फैसल

१। उपभोक्ता का नामांकन -  
२। अद्यमध्यक्ष का नामांकन -  
३। दिनांक - २०२४ को

परवर्तन क्रमांक १०२५/० दोषरा दिन पूर्वी २०२४  
पूर्व शत्रुघ्नी आदमी